केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/आईपीएसप्रैक्टिकल/2026 **दिनांक: 16.03.2026**

प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रमुख
सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालय (सत्र 2025-26)
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: प्रैक्टिकल परीक्षाओं 2026 के संबंध में विद्यालयों, पर्यवेक्षकों और बाहरी परीक्षकों को भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) का शुभारंभ।

महोदय/महोदया

सीबीएसई बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 के लिए विद्यालयों, पर्यवेक्षकों और बाहय परीक्षकों को भुगतान करने के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) शुरू की है।

प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक, परिवहन, जलपान और अन्य संबंधित व्ययों की दरों को बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया है और ये बोर्ड परीक्षाएँ 2026 से लागू हैं। तदनुसार, आईपीएस प्रैक्टिकल 2026 पोर्टल को पारिश्रमिक, परिवहन, और जलपान की संशोधित दरों को सम्मिलित करते हुए बनाया गया है। यह भी सूचित किया जाता है कि विभिन्न मंचों पर दिए गए आश्वासन के अनुसार, आईपीएस पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल परीक्षा संबंधी गतिविधि पूर्ण होते ही तुरंत प्रारंभ किए जाएंगे, तदनुसार, आईपीएस प्रैक्टिकल 2026 पोर्टल को प्रैक्टिकल परीक्षाओं 2026 के पूर्ण होने के तुरंत बाद प्रारंभ किया जा रहा है।

सभी विद्यालयों से अनुरोध है कि वे आवश्यक डेटा प्रविष्टि पूर्ण करें तथा अपने डेटा को फ्रीज़ करें ताकि विभिन्न पदाधिकारियों को भुगतान शीघ्र जारी किया जा सके। कृपया सुनिश्चित करें कि बैंक खाता विवरण सही रूप से दर्ज किए गए हैं। प्राधानाचार्य को अंतिम रूप देने एवं फ्रीज़ करने से पूर्व डेटा का व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करनी चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

आईपीएस प्रैक्टिकल 2026 का कार्यक्रम निम्नानुसार होगा:

विद्यालय द्वारा डेटा जमा करना और फ्रीज़ करना	**भुगतान जारी करना**
17 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक	23 मार्च 2026 से आगे
विफल भुगतानों की स्थिति में पुनः फ्रीज़ करना	भुगतान जारी करना
1 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक	6 अप्रैल 2026 से आगे
प्रैक्टिकल 2026 के भुगतान के संदर्भ पोर्टल 1 अप्रैल, 2026 को बंद कर दिया जाएगा।	

ह/-

9डॉ संयम भारद्वाज0
परीक्षा नियंत्रक

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति:

1. निदेशक (आईटी), सीबीएसई, द्वारका, नई दिल्ली।
2. आईएएफए, सीबीएसई, द्वारका, नई दिल्ली।
3. वेब-एडमिन, सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।